विनिमय 3

किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता

Institute of Livelihood Research and Training

apmas

विनिमय 3

किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता

किसान उत्पादक संगठन के
संचालक मण्डल के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम

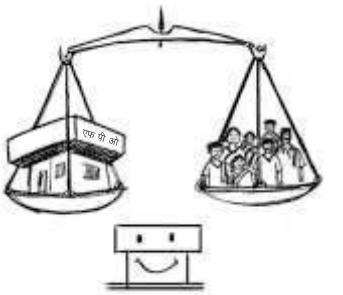

apmas

विनिमय
किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता

पहला संस्करण – जुलाई 2021

मूल्य – रु. 100

पुनः प्रकाशन का अधिकार आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) के पास सुरक्षित रखा गया है । इस सामग्री को आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी से अनुमति लेकर अथवा के साथ आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी और डी.जी.आर.वी. के लोगो का उपयोग करके पुनः प्रकाशित किया जा सकता है ।

इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए, आप आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी के कार्यालय से फोन के माध्यम से या ई-मेल भेजकर भी संपर्क कर सकते हैं ।

द्वारा प्रकाशित
आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS)
प्लॉट 11 और 12, हुडा कॉलोनी, तनेशा नगर, मणिकोंडा,
हैदराबाद – 500089, तेलंगाना, भारत
कार्यालय दूरभाष: 08413-403118 / 08413-403120
ई-मेल आईडी: - info@apmas.org
वेबसाइट – www.apmas.org

किसान उत्पादक संगठन के संचालक मण्डल के लिए स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी?

यद्दपि भारतीय किसान कई प्रकार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, परन्तु कृषि क्षेत्र ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है । किसानों की समृद्धि के लिए, उनको को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाना, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े पसंदीदा संस्थागत तंत्र के रूप में उभर रहा है । अगले 5 वर्षों में भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एफपीओ एक मुख्य रणनीति है । भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 7,500 एफपीओ का गठन किया जा चुका है और बहुत सारी एफपीओ का गठन हो रहा है । एफपीओ आंदोलन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है क्योंकि एफपीओ के संचालक मंडल के सदस्य सीमित रूप से प्रशिक्षित होने के कारण वे अपने दृष्टिकोण, क्षमताओं और व्यापारिक योजनाओं के उन्मुखीकरण के लिए अपने प्रवर्तकों यानी प्रमोटर्स पर निर्भर होते हैं । एफपीओ को निरंतर रूप से एक प्रशिक्षित, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) के न होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एफपीओ को कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि - सुशासन, व्यवसायिक प्रबंधन, प्रभावी कार्य व्यवस्था तथा वित्त, बाजार और सरकारी योजनाओं तक पहुँच, आदि । कृषि-मूल्य श्रृंखला के विकास को प्रभावी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता एफपीओ के लिए एक दूर का सपना बनी हुई है ।

एफपीओ के संचालक मण्डल का क्षमता निर्माण एक मौलिक एवं पूर्वनिर्धारित शर्त है, एफपीओ की सफलता और उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, जिनके आधार पर वे एक सशक्त व्यावसायिक संगठनों के रूप में उभरकर अपने सदस्य किसानों को आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान करें, जिससे कि खेती से होने वाले उनके मुनाफे बढे । एफपीओ के संचालक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों व अन्य सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षण और सलाह (मेंटरिंग सपोर्ट) देना, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इन्क्यूबेशन केन्द्र के माध्यम से हम बड़ी संख्या में एफपीओ के निर्माण और इसके साथ ही अन्यों द्वारा बनाए हुए एफपीओ को सलाह देने का कार्य भी कर रहे है, ताकि वे उचित कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास की पहल में संलग्न हो सके।

एफपीओ पर वर्तमान में मौजूद प्रशिक्षण नियमावली (मैन्युअल) और पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के बाद, हमने पाया कि एफपीओ के संचालक मण्डल की क्षमता विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, व्यावहारिक और आसानी से उपयोग होने वाला स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कमी है । स्वयं सहायता समूहों के स्व-नियमन पर स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण के सशक्त अनुभव और पिछले 20 वर्षों के संस्थागत विकास पर क्षमता निर्माण के अनुभव के आधार पर, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) की टीम ने श्री मधु मूर्ति और श्रीमती रामलक्ष्मी के नेतृत्व में एक वर्ष से अधिक समय में संसाधन संगठनों, सहयोगी गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा एफपीओ के प्रतिनिधि संगठनों के साथ मिलकर एफपीओ के संचालक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के लिये 12 आसान स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बुकलेट) की एक श्रृंखला विकसित करने का कार्य किया, जिसमें एफपीओ की आवश्यकता, महत्व और औचित्य, संस्थागत संरचना, सदस्यता, नेतृत्व व शासन, प्रबंधन, पंजीकरण व कानूनी अनुपालन, व्यवसाय योजना, उत्पादकता बढ़ाना, इनपुट और आउटपुट का सामूहिक विपणन (मार्केटिंग), कृषि सेवा केंद्र का प्रबंधन, लेखा और वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं ।

एफपीओ हमेशा से स्थायी रूप से लोकतांत्रिक स्वायत्तता वाली व्यापारिक संस्थाएँ रही हैं, नियमित अन्तराल पर संचालक मंडल के सदस्यों के बदलाव व नए सदस्यों के चयन के लिए चुनाव होंगे और इसलिए संचालक मंडल के सदस्यों की क्षमता विकास की जरुरत हमेशा होगी । ऐसे में हम आश्वस्त हैं कि यह आसान स्व

शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एफपीओ के लिए अति उपयोगी होगी, जिससे एफपीओ व्यवहारिक संगठन बन सकेगा व अपने सदस्यों को सेवाएँ दे सकेगा । एफपीओ निर्माण करने वालों को, संचालक मण्डल के सदस्यों को व्यवस्थित प्रकार से सहयोग देना होगा, ताकि वे इन स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख सके । एफपीओ प्रवर्तक और अन्य भागीदार भी इस एफपीओ के संचालक मंडल के स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग एफपीओ को प्रभावी रूप से सलाह देने और स्व-प्रबंधित व व्यवहारिक व्यापारिक संगठन बनाने के लिए कर सकेंगे । आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) ने तेलुगु और अंग्रेजी में इन स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण की जिम्मेदारी ली है, मांग के अनुरूप, इन मॉड्यूल को गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तमिल भाषाओं में संसाधन संगठनों, बाइफ (BAIF), सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (CYSD), मायराडा (MYRADA), एफपीओ उत्कृष्टता केंद्र कर्नाटक, एफपीओ सहायता संघ तमिलनाडु, आदि के साथ साझेदारी में अनुवाद किया गया है ।

एफपीओ के संचालक मंडल के स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की श्रृंखला के इन 6 मॉड्यूल व 12 पोस्टरों का हिंदी संस्करण इंस्टिट्यूट ऑफ़ लाइवलीहुड रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएलआरटी), भोपाल के सहयोग से तैयार किया गया हैं और इस कार्य के लिए वित्तीय सहयोग राजीव गाँधी फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया हैं ।

नाबार्ड और बर्ड लखनऊ पहले से ही हमारे एफपीओ के संचालक मंडल स्व शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग या पुनरुत्पादन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं में संसाधन संगठनों, राज्य सरकारों, क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) और अन्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा इन मॉड्यूलों को व्यवहार्य व्यावसायिक संगठनों के रूप में अपने एफपीओ के संचालक मंडल का क्षमतावर्धन करने के लिए उचित रूप से अपनाया जा सकता है । आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) निश्चित रूप से इस तरह के प्रयासों का समर्थन करेगा । हम आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बहुत उत्सुक है ।

सादर,

सी.एस. रेड्डी

(सी.ई.ओ, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी)

विषय सूची

विषय सूची 5
मार्गदर्शिका के सन्दर्भ में 6
शब्दावली 8
प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन (बेसलाइन) 12
1. किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता का महत्त्व 13
2. सदस्यों का स्वामित्व और नियंत्रण 18
3. सदस्यता लेने पर होने वाले लाभ 25
4. एफपीओ में सदस्यता- कौन और कैसे 37
5. पूँजी में योगदान - सदस्यता ही स्वामित्त्व 36
अनुलग्नक - I 43
अनुलग्नक - II 44
प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन 47

मार्गदर्शिका के सन्दर्भ में

संचालक मण्डल के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम

1. **जागृति - किसान उत्पादक संगठन: परिचय एवं औचित्य श्रृंखला**
2. **परिकल्पना - किसान उत्पादक संगठन की संरचना एवं स्वरुप (डिजाईन)**
3. **विनिमय - किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता**
4. **प्रेरणा - किसान उत्पादक संगठन में अभिशासन**
5. **प्रेरणा - किसान उत्पादक संगठन में अभिशासन**
3. **समर्थन - किसान उत्पादक संगठन का प्रबंधन**
6. **सुधर्म - किसान उत्पादक संगठन के वैधानिक अनुपालन**
7. **व्यवसाय योजना**
8. **लेखांकन और वित्त**
9. **फसल उत्पादन पश्चात आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**

किसान उत्पादक संगठन के संचालक मंडल (बीओडी) के सदस्यों के लिए स्व-प्रशिक्षण या स्वयं अध्ययन पाठ्यक्रम की श्रृंखला की तीसरी कड़ी एफपीओ में किसानो की सदस्यता है। चूंकि सदस्य का एफपीओ में स्वामित्त्व होता हैं और एफपीओ का उद्देश्य उनकी सहायता करना है, इसलिए यह मॉड्यूल अत्याधिक महत्व रखता है।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण प्रारूप का उद्देश्य एफपीओ के संचालक मण्डल सदस्यों का उन्मुखीकरण कर उनका क्षमतावर्धन करना है जिससे अपने कार्य और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से समझ कर एफपीओ का सफल संचालन और नेतृत्त्व कर सकें और इससे जुड़े सदस्यों को लाभ दिला सकें ।

लक्षित समूह

इस प्रशिक्षण प्रारूप को बनाने का मूल उद्देश्य संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वयं अध्ययन द्वारा क्षमतावर्धन करना है । इस प्रशिक्षण के लिए किसान उत्पादक संगठनों के संचालक मण्डल के सदस्यों को अपने एफपीओ को संचालित करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण उद्देश्य

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम "किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता" के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता के महत्त्व, स्वामित्त्व एवं उनके नियंत्रण यथोचित प्रारूप की समझ विकसित करना।

- किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों की प्रमुख विशेषताओं, उनकी भूमिका एवं होने वाली, गतिविधियों पर समझ विकसित करना।
- किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता के लिए आवश्यक नियमों और अंश पूँजी के निर्धारण एवं इसकी आवश्यकता के विषय में समझ बढ़ाना ।

संरचना एवं विषय वस्तु

पाठ्यक्रम का आरम्भ एफपीओ में सदस्यों के महत्व से होता है । द्वितीय सत्र में सदस्यों के एफपीओ पर स्वामित्व और उनके नियंत्रण पर चर्चा की गई है । तीसरे सत्र में एफपीओ की सदस्यता लेने के फायदे के बारे में बताया गया है और अंत में एफपीओ की अंशपूंजी में सदस्यों के योगदान व महत्व की चर्चा की गई है।

उपयोगिता

संचालक मण्डल के सदस्य इस पाठ्यक्रम को स्वयं पढ़कर या किसी स्त्रोत व्यक्ति (प्रशिक्षक) के माध्यम से आसानी से समझ सकते है। कंपनी के संचालन की भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को चित्र के माध्यम से समझाया गया है जिसका उपयोग संचालक मण्डल, अंशधारियों के साथ होने वाली अलग-अलग बैठकों एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने की समझ विकसित करने में कर सकते हैं।

इस पाठ्यक्रम का लाभ लेकर कंपनी का संचालन अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से करने में समर्थ होने के लिए हमारी शुभकामनाएँ।

शब्दावली

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (ए.ओ.ए.)	आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए एक सहकारी समिति के उपनियम/बायलाज की तरह है । जिसमें कंपनी को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए निर्धारित किये गए नियमों, और कंपनी के उद्देश्य, प्रक्रिया और संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी होती है । ए.ओ.ए. को कम्पनी के संचालक मण्डल के सदस्य तैयार करते है जिसका अनुमोदन कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा होता है । ए.ओ.ए. में कोई संशोधन केवल साधारण सभा द्वारा किया जा सकता । इसके पश्चात कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ।
सक्रिय सदस्य	"सक्रिय सदस्य" का अर्थ है वे सदस्य जो कम्पनी द्वारा सम्पादित गतिविधियों/व्यवसाय/सेवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगें और जो कम्पनी के सभी कार्यों, बैठकों और कार्यक्रमों में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित भी नहीं रहेंगें । संक्षिप्त में, एफपीओ के सक्रिय सदस्य के रूप में एक सदस्य जो ए.ओ.ए. में चाहे अनुसार उत्पादक कम्पनी के अनुग्रह का परिमाण तथा अवधि को पूर्ण करता हों । उदाहरण के लिए, अगर एक डेयरी सहकारी सोसायटी के उपनियम में उल्लेख है कि एक सदस्य को एक वर्ष में 180 दिन की अवधि के दौरान में कम से कम 180 लीटर दूध की आपूर्ति करनी होगी । तो केवल उन सदस्यों को जो इस आवश्यकता को पूरा करते है को ही सक्रिय सदस्य के रूप में माना जाता है ।
संचालक मण्डल (बीओडी)	किसान उत्पादक कंपनी के अंशधारियों का वह समूह जो साधारण सभा द्वारा चयनित एवं निर्वाचित होकर उन्हीं के मार्गदर्शन और अनुमोदन पर कंपनी के सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्यों का संचालन करता है । संचालक मण्डल के सदस्यों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं पारिश्रमिक कंपनी के अधिनियमों के मुताबिक होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यह

	वास्तव में कम्पनी का निर्णायक मण्डल होता है जो यह सुनिश्चित करता हैं कि उनके लिए गए फैसले अंशधारकों के हित में हो।
उपनियम (बायलॉज)	यह एफपीओ के कामकाज/गतिविधियों को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह (नियमावली) है, जो अधिनियम के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज है। इसे कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा तैयार किया जाता है और इसका एफपीओ के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होता है। उपनियमों (बायलॉज) में संशोधन साधारण सभा ही कर सकती है। लेकिन उसके बाद इसे एफपीओ के रजिस्ट्रार द्वारा भी पुनः अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ।
सहकारी समिति	सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत (उदाहरणः आंध्र प्रदेश म्युचुअल एडेड को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1995 के लिए) एफपीओ को सहकारी समिति भी कहा जाता है।
सी.ई.ओ/मैनेजर/जनरल मैनेजर	प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन को प्रबन्धन हेतु एक पूर्ण कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) नियुक्त करना अनिवार्य है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगठन की समस्त गतिविधियों का संचालन संचालक मण्डल की देखरेख में करता है एवं पूर्ण रूप से संगठन के कार्य निष्पादन एवं परिणाम हेतु संचालक मण्डल के प्रति जवाबदेह होता है।
लाभांश	लाभांश, एफपीओ की कुल आमदनी में हुए लाभ का एक हिस्सा है और जो इससे जुड़े सदस्यों में पुरस्कार के रूप में वितरण किया जाता है।
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक पंजीकृत संगठन है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण उनके किसान सदस्यों द्वारा किया जाता है। एफपीओ का उद्देश्य ही है कि इससे जुड़े हुए सभी किसानों के समान हित और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसा कि एओए में उल्लेखित है। आज एफपीओ कृषि उत्पादन और इससे संबंधित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत है। एक औपचारिक संगठन होने के कारण एफपीओ को स्वयं के

	कार्यालय/बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, संचालक मण्डल और संचालन के लिए व्यवस्थित कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है।
असामान्य साधारण बैठक (ई.जी.एम.)	एक असामान्य साधारण बैठक (ई.जी.एम.), ए.जी.एम. से अलग साधारण सभा की एक बैठक है। यह ई.जी.एम., एफपीओ के किसी विशेष या जरूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए, अचानक संकल्प पारित करने के लिए आदि के लिए बीच में आयोजित की जाती है ।
साधारण सभा	किसी कंपनी या कानूनी रूप से मान्य संस्था के सभी सदस्यों को जिन्हें कम्पनी या उस संस्था ने अपने मान्य नियमों के अंतर्गत सदस्यता या अंशधारिता प्रदान की हो ऐसे सभी मान्य सदस्यों को साधारण सभा कहा जाता है । यह एफपीओ की सर्वोच्च अथॉरिटी होती है ।
साधारण सभा की बैठक	एक एफपीओ के साधारण सभा या निकाय की बैठक
सदस्य केंद्रीयता	सदस्य केंद्रीयता, यह बताती है कि किसी एफपीओ की सेवाएँ उसके सदस्यों के लिए कितनी महत्वपूर्ण या प्रासंगिक है। अगर एफपीओ की सेवाएँ, सदस्यों की जरूरतों के लिए प्रासंगिक या सदस्य केंद्रित हैं, तो सदस्यों को लगता है कि एफपीओ उनके लिए महत्वपूर्ण है।
सदस्य	"सदस्य" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे उत्पादक संस्था में उसकी योग्यता के अनुसार सक्रिय सदस्य के रूप में नियुक्त किया है । एफपीओ में, केवल पात्र किसान या उत्पादक उनके संचालन क्षेत्र में संस्थान (एफपीओ में निर्देशित बायलाज / ए.ओ.ए. के अनुसार) सदस्य बन सकते हैं।
संरक्षण सदस्य	"संरक्षण सदस्य" का अर्थ है एफपीओ द्वारा अपने सदस्यों को एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेकर दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाले सदस्य ।
किसान उत्पादक कंपनी	कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक एफपीओ को किसान उत्पादक कंपनी कहा जाता है। किसान उत्पादक कंपनी का अर्थ है एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका उद्देश्य और

	उसकी गतिविधियाँ धारा 581B में निर्दिष्ट दिशा-निर्देषों के अनुसार हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसान उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
संरक्षण (पेट्रोनेज)	एफपीओ के सदस्यों द्वारा एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने एवं एफपीओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करना ।
सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस.)	सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (PGS); स्थानीय रूप से प्रासंगिक एक गुणवत्ता आश्वासन की पहल है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर जोर देता है। यह अधिकृत एजेंसियों (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी किया गया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है।
अंश पूंजी	वह धन, जो शेयरधारक एफपीओ में सदस्यता रुपी स्वामित्व लेने के लिए निवेश करते हैं।
रोका गया मूल्य/कीमत	"रोकी गई कीमत" का अर्थ है उत्पादक कंपनी को किसी भी सदस्य/प्राथमिक उत्पादक के द्वारा दिए गए उत्पादन के लिए देय राशि और देय राशि का वो हिस्सा; जो कि उत्पादक कंपनी (एफपीओ) द्वारा क्रय करने और पुनः उच्च दाम पर विक्रय के बाद की तारीख में भुगतान की जाती है।

प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन (बेसलाइन)

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रारंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि इसमें "किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता" सम्बंधित विषय पर चर्चा होगी।

संदर्भित विषय पर नीचे कुछ मूलभूत प्रश्न दिए गए हैं । आइए इन प्रश्नों के उत्तर खुद दें। इस अभ्यास का उद्देश्य इन सवालों पर हमारी वर्तमान समझ का आकलन करना है । परिणामस्वरूप किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है।

तो, क्या अब हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे?

1. एफपीओ के मालिक कौन होते हैं?

---

2. एफपीओ में कौन सदस्य बन सकते हैं?

---

3. एफपीओ और सदस्यों के बीच क्या-क्या लेन देन हो सकते हैं ?

---

1 किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता का महत्त्व

सत्र का उद्देश्य

इस सत्र के बाद प्रशिणार्थियों में एफपीओ के सुचारू रूप से संचालन के लिए इसके सदस्यों की उपयोगिता और महत्त्व के बारे में उपयुक्त समझ विकसित होगी ।

विषय वस्तुः

1. सदस्य; उपयोगिता एवं महत्त्व
2. एफपीओ के साथ सदस्यों का लेन-देन

परिचय :

इससे पूर्व "एफपीओ की संस्थागत संरचना और इसकी कार्यप्रणाली" मॉड्यूल में, हमने अध्ययन किया कि एफपीओ के तीन प्रमुख घटक इसके सदस्य, संचालक मंडल के सदस्य और कर्मचारी होते हैं । साथ ही हमने यह भी अध्ययन किया कि एफपीओ के सदस्य इसकी नींव हैं और संचालक मंडल तथा कर्मचारीयों को सदस्यों के हित के लिए काम करना पड़ता है। इस प्रकार, यह मॉड्यूल एफपीओ के सबसे महत्वपूर्ण घटक अर्थात् सदस्यों से संबंधित है।

इस पाठ्यक्रम में हम एफपीओ के अंशधारी सदस्यों के महत्व उनके स्वामित्व और नियंत्रण, सदस्यता की प्रमुख विशेषताओं जैसे सदस्यता अभियान, सदस्य केंद्रीयता, सदस्य स्तर पर लाभ वितरण के संतुलन, सदस्यों के सम्बन्धों आदि पर चर्चा करेंगे। साथ ही अंशधारियों की अधिक वित्तीय सहभागिता के महत्व और आवश्यकता पर भी विस्तृत में चर्चा करेंगे ।

एफपीओ के सदस्य

इससे पहले कि एफपीओ की व्यावसायिक प्रक्रिया आरम्भ हो, हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे और एफपीओ किसके लिए व्यवसाय करेगा है और क्यों?

संस्था का प्रकार निर्भर करता है:

- व्यवसाय का मालिक कौन है?
- व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है?

- कौन व्यवसाय करेगा ?
- मुनाफा किसे मिलेगा ?

एफपीओ के सदस्य होते हैं ।

- एफपीओ के मालिक
- एफपीओ सेवाओं के उपयोगकर्ता
- वो लोग; जो एफपीओ को नियंत्रित करते हैं
- एफपीओ के अस्तित्व का कारण

व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले व्यवसाय में, एक व्यक्ति व्यवसाय को नियंत्रित एवं संचालित करता है एवं लाभ प्राप्त करता है । साझेदारी में, दो या दो से अधिक लोग वैधानिक रूप से जुड़ कर व्यापार का संचालन करते हैं एवं नियंत्रण रखते हैं, व्यापार में उनके निवेश के आधार पर जोखिम और लाभ में हिस्सेदारी होती है। हमारी एफपीओ भी एक प्रकार का साझेदारी का व्यवसाय है जिसमे;

- एफपीओ से जुडा हर एक सदस्य मालिक होता है ।
- सदस्यों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था करते हैं,
- हमारे सदस्य ही निवेशक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात,
- सदस्य केवल एफपीओ के मालिक ही नहीं हैं, बल्कि एफपीओ की सेवाओं के उपयोगकर्ता भी हैं।

इसका मतलब है कि ***हमारे सदस्य हमारे एफपीओ की आधारशिला और* एफपीओ के अस्तित्व का कारण *भी हैं।*** इस प्रकार, एफपीओ अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए काम करते हैं।

हम मालिक हैं, हम उपयोगकर्ता हैं, हम नियंत्रक हैं, लाभ और हानि के सहभागी भी हैं ।

सदस्य कौन हैं?

"उपनियमों के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करना चाहता है, वह सदस्यता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है लेकिन साथ ही उसे एफपीओ के उपनियमों में निर्दिष्ट शेयर पूंजी को जमा करने जैसी ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।"

सदस्य और एफपीओ के बीच लेनदेन

सदस्य और एफपीओ के बीच संबंधों और लेनदेन को नीचे दर्शाया गया है।

चित्र : सदस्य और एफपीओ के बीच लेन-देन

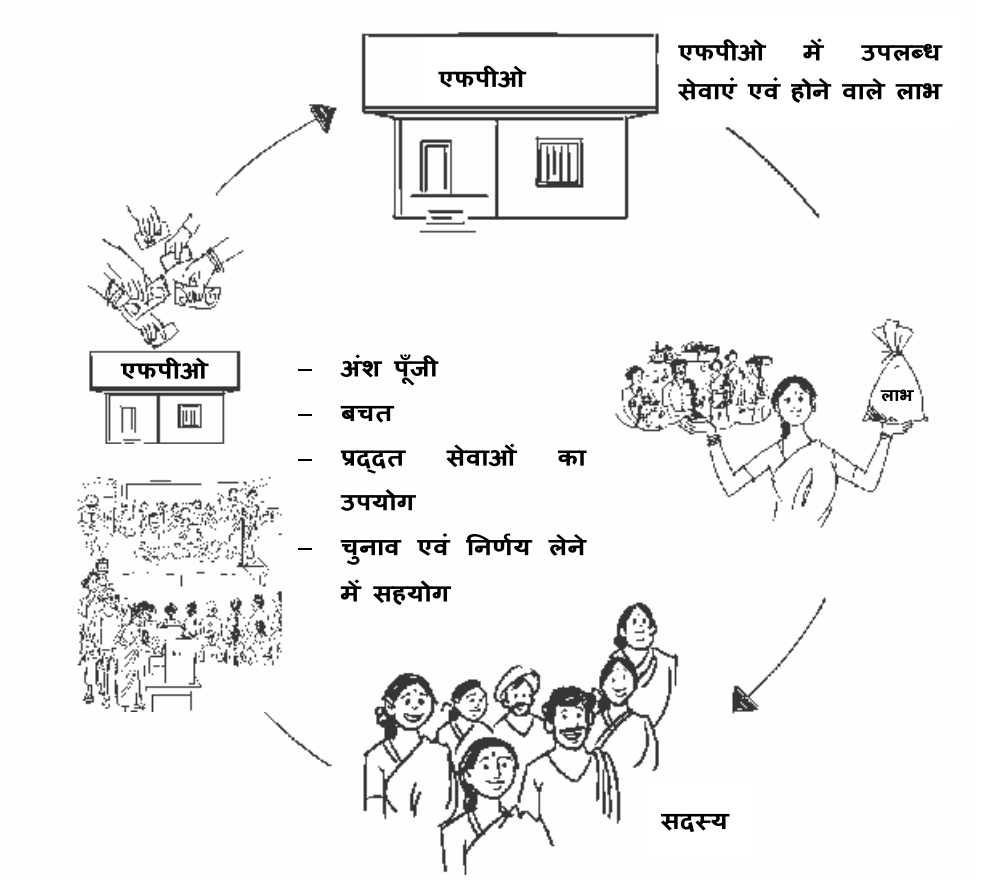

जैसा कि ऊपर दिए गए आरेख में इंगित किया गया है, सदस्य एफपीओ के मालिक हैं जो पूंजी को साझा करने में योगदान करते हैं और एफपीओ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। एफपीओ का उद्देश्य अपने सदस्यों को समय पर और कम लागत वाली आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है।

एफपीओ की व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए सदस्यों का महत्व

- क्या ऑटो रिक्शा का व्यवसाय यात्रियों के बिना चलता है?
- क्या सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों के बिना सब्जी की दुकान का व्यवसाय चलता है?

ऐसे सभी मामलों में जवाब स्पष्ट नहीं है ।

इस प्रकार एफपीओ का व्यवसाय भी सदस्यों के बिना नहीं चल सकता क्योंकि सदस्य स्वयं एफपीओ के ग्राहक हैं।

उदाहरण के लिए, एक एफपीओ आगामी कृषि सीजन के लिए अपने सदस्यों की 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। एफपीओ ऋण लेता है और अपने सदस्यों को आपूर्ति के लिए 10 क्विंटल बीज खरीदता है। यदि सदस्य वास्तव में केवल 2 क्विंटल बीज लेते हैं तो क्या होगा?

इसलिए स्वामित्व के बिना कोई संस्था नहीं है और ग्राहकों के बिना कोई व्यवसाय नहीं है। इसका मतलब है कि सदस्यों के बिना, एफपीओ के लिए कोई व्यवसाय और जीविका नहीं है।

एक और उदाहरण नीचे दिया गया है।

साधिकार्थ एफपीओ कर्नाटक राज्य के शिवपुरम ब्लॉक में चल रहा है। शिवपुरम क्लस्टर में प्रमुख फसल अरहर (तुवर) है। साधिकार्थ एफपीओ की योजना एक अरहर दाल मिल स्थापित करने की है। मिल की आवश्यक क्षमता और व्यवसाय के लिए सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.	विवरण	इकाई	इकाई सं
पौधों का विवरण			
1	प्रति वर्ष मिल की कुल क्षमता	क्विंटल	9000
कच्चे माल का विवरण			
2	प्रति सदस्य औसत भूमि का आकार	एकड़	2

क्र.	विवरण	इकाई	इकाई सं
3	औसत उत्पादकता	क्विंटल /एकड़	4
4	प्रति सदस्य कुल उत्पादन	क्विंटल	8
5	सदस्यों द्वारा एफपीओ को प्रदान की गई वस्तु का प्रतिशत	%	75
6	सदस्य द्वारा आपूर्ति की गई कच्चे माल की मात्रा	क्विंटल	6
7	क्षमता के आधार पर आवश्यक सदस्यों की संख्या	संख्या	1500

उपरोक्त उदाहरण से, यह स्पष्ट है कि एफपीओ द्वारा दाल मिल के व्यवहार्य चलाने के लिए 1500 सदस्यों की आवश्यकता है।

अब हमें साधिकार्थ एफपीओ की व्यवहार्यता से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचने की आवश्यकता है:

- 1500 सदस्य एफपीओ द्वारा नहीं इकठ्ठा किए गए तो क्या परिणाम होंगे, तो क्या केवल कुछ सदस्य ही आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे?
- मिल के शुरु होने के कुछ वर्षों बाद भी केवल 1500 सदस्यों ने एफपीओ में सदस्यता ली तो क्या परिणाम होंगे?

उपरोक्त उदाहरण से, यह स्पष्ट है कि एफपीओ में पर्याप्त सदस्यता और सदस्यों द्वारा उनका पूर्ण संरक्षण एफपीओ व्यवसाय की व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है। एफपीओ के किसी भी व्यवसाय की व्यवहार्यता के लिए और प्रसंस्करण संयंत्र की पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है और इसके लिए आवश्यक सदस्यों को जुटाना पड़ता है।

2 सदस्यों का स्वामित्व और नियंत्रण

सत्र उद्देश्य

सदस्यों में स्वामित्व और नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना ।

सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में जानना ।

विषय वस्तुः

1. सदस्यों का नियंत्रण एवं अधिकार
2. सदस्यों के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

एफपीओ और सदस्यों के अर्थ और पहले के सत्रों से स्पष्ट है कि एफपीओ अपने सदस्यों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित होने वाला एक सदस्य-आधारित संगठन हैं। अब, आइए नज़र डालते हैं कि एफपीओ को उनके सदस्यों के स्वामित्व द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

निम्नलिखित तरीकों के द्वारा सदस्यों के पास एफपीओ का स्वामित्व और नियंत्रण होता है।

सदस्यों द्वारा स्वामित्व का उपयोग करना

शेयर पूंजी का भुगतान

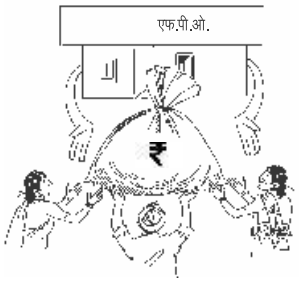

एफपीओ की पूंजी में योगदान

एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करना

सदस्यों की गतिविधियों द्वारा नियंत्रण

संचालक मंडल का चुनाव बैठकों में मतदान प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना

सदस्यों द्वारा स्वामित्व का उपयोग करना
- शेयर पूंजी का भुगतान
- एफपीओ की पूंजी में योगदान
- एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करना

सदस्यों की गतिविधियों द्वारा नियंत्रण
- संचालक मंडल का चुनाव
- बैठकों में मतदान
- प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना

अभ्यास 1:

आइए एफपीओ के निम्नलिखित दो मामलों को देखें और इन एफपीओ के सफल कामकाज पर चर्चा करें।

एफपीओ 1: इस एफपीओ के कार्य क्षेत्र के सभी संभावित सदस्य पूर्ण अधिकृत शेयर पूंजी (जैसा कि उपनियमों में निर्धारित और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित है) का भुगतान करके, एफपीओ के सदस्य बन गए। एफपीओ में सदस्य नियमित मासिक बचत भी करते हैं। उपज की खरीद के दौरान, एफपीओ सदस्यों के भुगतान में से 10% काट कर अपने पास रखता है जो व्यवसाय के सभी लागतों को समायोजित करने के बाद, बकाया राशि सदस्यों को वापस भुगतान कर दी जाती है।

एफपीओ 2: इस एफपीओ में, केवल कुछ ही किसान शामिल हुए और सदस्यों ने अधिकृत शेयर पूंजी के केवल छोटे हिस्से का योगदान ही किया। एफपीओ में सदस्यों की बचत और सदस्यों के भुगतान में से कुछ % काट कर अपने पास रखने का कोई अभ्यास नहीं है।

उपरोक्त एफपीओ पर सदस्यों का स्वामित्व और नियंत्रण किस सीमा तक है, यह नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करके लिखे।

एफपीओ: 1	एफपीओ: 2

सदस्यों की जिम्मेदारियाँ

एफपीओ में, ऐसा नहीं है कि सदस्यों के पास केवल अधिकार हैं, बल्कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी आवश्यकता है। सदस्यों की जिम्मेदारियों को नीचे दर्शाया गया है।

कार्य एवं जिम्मेदारियाँ	स्वामित्व और नियंत्रण	वित्त
• सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता • सेवाओं का वास्तविक उपयोग	• प्रमुख निर्णयों पर मतदान • संचालकों का निर्वाचन • प्रमुख निर्णयों पर भाग लेना	• शेयर पूंजी • बचत • कुल पूँजी

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सदस्यों को न केवल आगामी खेती या बुवाई के केवल प्रतिबद्ध ही नही बल्कि सेवाओं का भी उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 10 क्विंटल बीज के लिए मांगपत्र देना चाहिए और साथ में एफपीओ से प्रतिबद्ध 10 क्विंटल बीज भी लेना चाहिए। सदस्यों को भी सामान्य निकाय की बैठकों में भाग लेने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे ऑडिटर नियुक्त करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सदस्य विभिन्न रूपों में एफपीओ के वित्त में योगदान करते रहे हैं।

अभ्यास 1 : कमलापुर किसान उत्पादक संगठन

रमन और श्यामू कमलापुर एफपीओ की विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के लिए शेयर पूंजी का योगदान देकर सदस्य बने। रमन ने एफपीओ से बीज और उर्वरकों की आवश्यक मात्रा ली और एफपीओ को 25 क्विंटल सब्जियों की आपूर्ति की। उन्होंने एफपीओ से क्रेडिट और बीमा भी प्राप्त किया। श्यामू ने एफपीओ को 50 क्विंटल सब्जियों की आपूर्ति की, लेकिन अन्य सेवाओं का उपयोग नहीं किया है। दोनों वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम.) में भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से मतदान और निर्णय लेने में भाग लेते हैं। वे एफपीओ की वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं। इसी एफपीओ में, शांता 25 क्विंटल सब्जियों की आपूर्ति करती है और अन्य सभी सेवाओं का भी लाभ उठाती है। लेकिन, वह कभी ए.जी.एम में शामिल नहीं होती हैं। इसी तरह, बलैया ने शेयर पूंजी देकर सदस्यता ली है। लेकिन उन्होंने कभी भी एफपीओ की किसी भी सेवा का उपयोग नहीं किया है और एजीएम में भी भाग नहीं लिया है।

ए.जी.एम आयोजित करने से पहले, एफपीओ ने बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अयोग्य सदस्यों की सूची तैयार की है। सूची में श्री बलैया और कुछ अन्य सदस्यों के नाम दिखाई दिए। अपात्रता के कारणों का उल्लेख इस प्रकार है:

1. सदस्यों ने एफपीओ की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है
2. सदस्यों ने एफपीओ की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है
3. सदस्यों ने दो साल से एजीएम में भाग नहीं लिया है

हाल ही में एजीएम में, रमन और श्यामू ने अन्य सदस्यों के साथ अपने मत अधिकार का उपयोग किया और सेवाओं के उपयोग के आधार पर सदस्यों को लाभ का 40% भुगतान करने का निर्णय भी लिया।

कृपया निम्नलिखित पर चर्चा करें:

1. एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए बलैया और कुछ अन्य सदस्य अयोग्य क्यों हो गए?
2. एफपीओ में निर्णय कौन ले रहा है?
3. उपरोक्त मामले के आधार पर, सदस्यों और एफपीओ के बीच संबंध को सूचीबद्ध करें?
4. क्या लाभ का 40% हिस्सा पाने के लिए बलैया अभी भी योग्य होगा?

अभ्यास 2:

एफपीओ में सदस्यता की कुछ स्थितियां नीचे दी गई हैं। आइए, दिए गए पैमाने पर एफपीओ का आकलन करें, इसके अलावा, सदस्यता की स्थिति को सुधारने के लिए उन क्षेत्रों में जरूरी कार्यवाहियों को सूचीबध करे जहां पैमाने पर रेटिंग औसत या उससे कम हैं।

बहुत कम (1) - कम (2) – औसत (3) – अधिक (4) – बहुत अधिक (5)

1. किसी एफपीओ के कार्य क्षेत्र में कुल संभावित सदस्यों का 80% उस एफपीओ के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

2. श्यामला, रामपुर डेयरी सहकारी समिति की सदस्य हैं। वह सोसाइटी को दूध की आपूर्ति करती है और सोसाइटी की पशु चिकित्सा सेवाओं का भी लाभ उठाती है। हालाँकि, वह कभी भी साधारण सभा और वोट/मतदान में शामिल नहीं होती है। क्या श्यामला सहकारी समिति के सदस्य के रूप में आगे जारी रह सकती हैं?

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

3. बलैया काजू की खरीद और प्रसंस्करण में संलग्न एक सहकारी समिति का सदस्य है। हालाँकि, बलैया कभी भी अपने काजू की आपूर्ति सहकारी समिति को नहीं करता है। क्या वह सहकारिता के सदस्य के रूप में आगे जारी रह सकता है?

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

4. जया देवी रंगपुर डेयरी सहकारी समिति की सदस्य हैं। वह सोसाइटी को नियमित रूप से दूध की आपूर्ति करती है, सोसाइटी की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाती है और साधारण सभा की बैठक में भाग लेने और मतदान और निर्णय लेने में भी भाग लेती है। क्या उसे सहकारिता के सदस्य के रूप में आगे जारी रखा जा सकता है?

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

5. डेयरी एफपीओ के कुल 6000 सदस्यों में से 50% (यानी 3000) संयंत्र को प्रति वर्ष 180 लीटर की न्यूनतम निर्धारित मात्रा की आपूर्ति करते हैं ।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

6. एक एफपीओ में, आम तौर पर, कम से कम 80% सदस्य नियमित रूप से साधारण सभा की बैठकों में भाग लेते हैं।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

7. एक अन्य एफपीओ में, आम तौर पर संचालक मंडल के 20% सदस्य निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

8. दो साल के समय में एक तिहाई सदस्य एफपीओ की सदस्यता से हट जाते हैं।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

9. सदस्यों से मिले मांगपत्र के आधार पर उर्वरकों की मांग के अनुमान के बाद, एक एफपीओ ने उर्वरकों के 100 बैग खरीदे । वास्तव में सदस्यों ने 100 बैग में से केवल 40 बैग ही लिए हैं।

   पैमाने (रेटिंग) ----------

   कार्यवाही ----------

10. डेयरी गतिविधि में कार्यरत एक एफपीओ मिल्क चिलिंग सेंटर द्वारा, सदस्यों के पास आवश्यक मात्रा में दूध उपलब्ध होनेके बावजूव, लगातार 3 सीजन से कुल मात्रा का 60% दूध गैर-सदस्यों से खरीदा जा रहा है।

    पैमाने (रेटिंग) ----------

    कार्यवाही ----------

<u>अभ्यास 3</u>

ऊपर चर्चा किए गए मापदंडों के आधार पर, इस बात का आकलन करें कि हमारी एफपीओ किस हद तक हमारे सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है?

---

3 सदस्यता लेने पर होने वाले लाभ

सत्र उद्देश्य

एफपीओ में सदस्यता की विभिन्न मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना ।

विषय वस्तुः

1. सदस्यता के लिए प्रेरित करना
2. सदस्य केंद्रीयता
3. एफपीओ स्तर और सदस्य स्तर पर लघु अवधि एवं दीर्घावधि के लाभों का सामंजस्य
4. सदस्यों में पारस्परिक व्यावहारिक एवं व्यावसायिक सम्बन्ध

एफपीओ में सदस्यों के महत्व,स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में जानने के बाद, अब नीचे सूचीबद्ध प्रमुख बिन्दुओं पर सदस्यता के लिए समझ बनायेंगे।

- सदस्यता के लिए प्रेरित करना
- सदस्य केंद्रीयता
- एफपीओ स्तर और सदस्य स्तर पर लघु अवधि एवं दीर्घावधि के लाभों का सामंजस्य;
- सदस्यों में पारस्परिक व्यावहारिक एवं व्यावसायिक सम्बन्ध

अब, इन विशिष्ट बिन्दुओं को एक-एक करके समझते है ।

एफपीओ में सदस्यता के लिए प्रेरित करना

एफपीओ की व्यवहार्यता और स्थिरता के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सदस्यों को नामांकित करें और उन्हें आवश्यक सेवाएँ देकर उनकी एफपीओ में आजीवन सक्रियता बनाए रखें, क्योंकि सदस्य एफपीओ के ग्राहक हैं। हमारी एफपीओ में सदस्यता ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रभावी रूप से सभी सदस्यों के लिए कार्य कर सकें, और साथ ही एफपीओ के शासन और प्रबंधन में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो। एफपीओ में सदस्य जुटाना तीन स्तरों में होता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

चित्र 3.1 सदस्यता के लिए प्रेरित करना

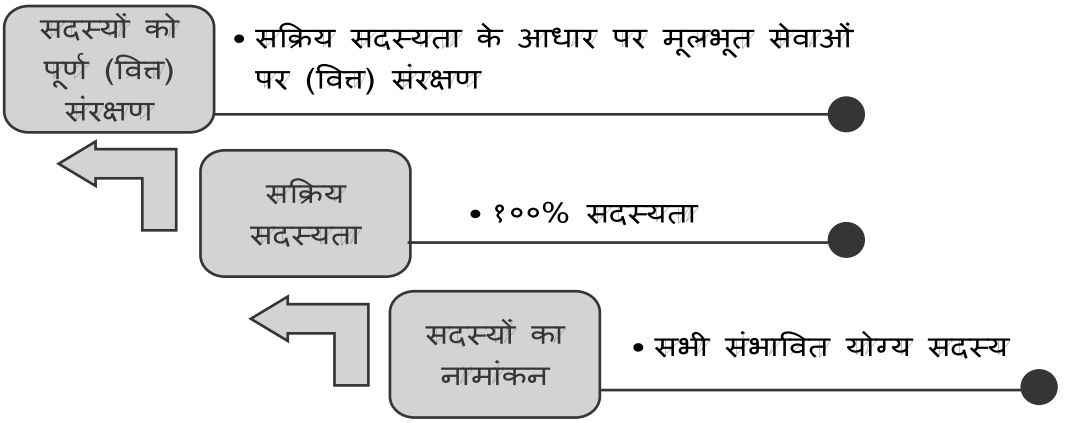

- सदस्य का नामांकन - एफपीओ कार्य क्षेत्र में सभी संभावित योग्य सदस्य - सदस्यता पात्रता मानदंड के अनुसार - शेयर पूंजी जुटाना
- सक्रिय सदस्य - न्यूनतम सदस्यता के मानदंडों को पूरा करना – 100% सक्रिय सदस्य होने के लिए - आजीवन सदस्यों की सदस्यता को बनाए रखना
- सदस्यों को पूर्ण संरक्षण - संरक्षण यानी सदस्यों द्वारा सभी सेवाओं का उपयोग - न्यूनतम सदस्यता मानदंडों के अलावा निरंतरता के लिए - बैठकों, मतदान, निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेना ।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, केवल शेयरधारकों के रूप में एफपीओ में सदस्यता लेना पर्याप्त नहीं है। एफपीओ के कामकाज के लिए, सदस्यों को सक्रिय होना चाहिए यानी एफपीओ से कम से कम न्यूनतम निर्धारित सेवाएँ लेते रहे (उदाहरण के लिए, डेरी/दुग्ध सहकारी में एक वर्ष में कम से कम 180 दिनों में 180 लीटर दूध) जो उनके उपनियमों में निर्धारित है। एफपीओ को स्थायी रूप से कार्य करने के लिए, सदस्यों को आम सभा में निर्णय लेने और मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

संचालक मण्डल के सदस्यों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे सदस्यता के तीनों स्तरों पर सदस्यों को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए, संचालक मण्डल की जिम्मेदारी है की एफपीओ में सदस्यों को दिए जाने वाले पूर्ण संरक्षण के साथ-साथ उनकी नियमित और उचित साधारण सभा की मीटिंग में उपस्थिति, चुनाव, निर्णय लेने आदि सेवाओं में सक्रियता को सुनिश्चित करना।

इसके अलावा संचालक मण्डल को सहायता एजेंसियों या विशेषज्ञों की सहायता से समय-समय पर कर्मचारियों एवं स्वयं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिससे सभी तीन स्तरों पर सदस्यों की सक्रियता को बनाये रखा जा सके।

आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रश्न:

1. क्या आपके एफपीओ के कार्य क्षेत्र में संभावित/योग्य किसानों में से अधिकांश आपके एफपीओ में सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं?
2. क्या आपके एफपीओ के अधिकांश सदस्य सक्रिय सदस्य हैं?
3. आपके सदस्यों का कौन-सा अनुपात एफपीओ द्वारा संचालित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंता है एवं कितनी सेवाओं का उपयोग सक्रिय सदस्य के मानदंड से ज्यादा करता है?

सदस्य केंद्रीयता

चर्चा का प्रश्न: क्या होगा यदि कोई एफपीओ अपने सदस्यों को हर समय केवल सीमित सेवाएँ ही दे सके?

चूंकि सदस्य एफपीओ के ग्राहक हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में एफपीओ उनके सदस्यों के लिए अधिक जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, सदस्यों से मूंगफली की खरीदी में एक एफपीओ को क्षेत्र के किसी भी अन्य खरीदार की तुलना में अधिक खरीदी करनी पड़ती है।

इसका मतलब है कि अगर कोई एफपीओ सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप कम से कम 50 % (किसी भी अन्य सेवा प्रदाता से) सेवाएँ अधिक प्रदान करता है, तो हम कह सकते हैं कि एफपीओ सदस्यों के लिए केंद्रीत है।

सदस्य की केंद्रीयता यह बताती है कि किसी एफपीओ की सेवाओं का उसके सदस्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात, अगर एफपीओ की सेवाएँ सदस्यों की जरूरतों के लिए प्रासंगिक/केंद्रीय हैं, तो स्पष्ट है कि एफपीओ उनके लिए महत्वपूर्ण है।

सदस्यों की केंद्रीयता की भूमिका का चित्रण:

अनंत एफपीओ में, सभी सदस्यों की प्रमुख फसल मूंगफली है। उस एफपीओ में एक सदस्य के औसत विवरण निम्नलिखित हैं।

उत्पादक सामग्री की लागत - रू 12,000 (बीज, उर्वरक, कीटनाशक सहित) प्रति एकड़

उत्पादन/पैदावन का मूल्य - रू 24,000 (6 क्विंटल प्रति एकड़; @ मूल्य रू 4,000 प्रति क्विंटल)

एफपीओ से सेवाओं का कुल मूल्य/लागत – रू 36,000/ एकड़

कुल उत्पादक सामग्री जो एफपीओ से, रू 8,000 (जो उर्वरक और बीज हैं) लिया जाता है।

उत्पादन/पैदावन में से, 4 क्विंटल एफपीओ को बेचा जाता है - रू 16,000 ।

इस प्रकार, एफपीओ से ली गई सेवाओं का कुल मूल्य- रू 24,000 (रू 8,000+ रू 16,000)

इस प्रकार, कुल सेवाओं का दो-तिहाई (कुल रू 36,000 का 66% - रू 24,000) एफपीओ से लिया जा रहा है जो उच्च सदस्य केंद्रीयता की भूमिका को दर्शाता है।

अभ्यास 1

नीचे दिए गए तथ्यों में एफपीओ में सदस्य केंद्रीयता की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कुछ उदाहरण हैं। केंद्रीयता पर उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, हमें प्रत्येक उदाहरण पर अपना मत देने की आवश्यकता है कि क्या संबंधित केंद्रीयता मौजूद है या नहीं (हां/नहीं)। उत्तर का स्पष्टीकरण भी देना होगा।

1. एक किसान अपनी कुल 2.5 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ में कपास उगाता है और कपास उनके परिवार के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। एक एफपीओ इस क्षेत्र में कपास के लिए उत्पादक सामग्री उपलब्ध कराने (इनपुट सप्लाई), ऋण, खरीद, मूल्य संवर्धन और विपणन करने के लिए आ रहा है। क्या किसान एफपीओ में सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए इच्छुक होगा?

   उत्तर:_____

   विवरण:_____

   _____

2. उपरोक्त मामले में, उदाहरण के लिए, 5 वर्षों के बाद, यदि कपास की तुलना में सोयाबीन आय का प्राथमिक स्रोत बन जाता है, तो क्या एफपीओ को सोयाबीन की आवश्यकता के लिए सेवाओं को बदलना चाहिए?

   उत्तर:_____

   विवरण:_____

   _____

3. एक अन्य मामले में, धान क्षेत्र के अधिकांश किसानों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, जबकि दुधारू पशुओं की संख्या बहुत कम है। हालांकि, क्षेत्र में एक डेयरी सहकारी को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। क्या यह एफपीओ क्षेत्र में सदस्यों के लिए केंद्रीय हो सकता है?

   उत्तर:_____

   विवरण:_____

   _____

अभ्यास 2

आइए, हम निम्नलिखित पहलुओं पर अपने सदस्यों के लिए हमारी एफपीओ के माध्यम से सेवाओं का आकलन करें।

क्र.	विवरण	स्थिति
1	सेवायें प्राप्त सदस्यों की संख्या	
2	सदस्यों को प्रदान की जाने वाली कुल सेवायें का मूल्य	
3	प्रति एकड़ इनपुट सप्लाई की लागत	
4	प्रति एकड़ उत्पादन का मूल्य	
5	सेवाओं का कुल मूल्य	
6	एफपीओ से लिये गये कुल इनपुट	
7	एफपीओ को बेंचा जाने वाला कुल उत्पादन क्विंटल में	
8	एफपीओ से ली गई सेवाओं का कुल मूल्य	
9	एफपीओ से लिये जाने वाली आवश्यक सेवाओं का प्रतिशत	
10	सदस्यों की केंद्रीयता (उच्च / निम्न)	

आइए आंकलन करें, कि क्या अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में हमारी एफपीओ सदस्यों के लिए केंद्रीत है। यदि नहीं, तो हमारे सदस्यों को एफपीओ के लिए अधिक केंद्रीय बनाने के लिए कार्रवाई बिंदु क्या हो सकते हैं?

लाभ का एफपीओ स्तर और सदस्य स्तर पर पारस्परिक संतुलन

इस खंड में, हम छोटी अवधि और लंबी अवधि में होने वाले लाभ का एफपीओ और सदस्यों के स्तर पर पारस्परिक संतुलन की आवश्यकता को देखगे। एफपीओ का सर्वोपरि उद्देश्य अपने सदस्यों को लाभान्वित करना है, साथ ही एफपीओ स्तर पर भी आवश्यक लाभ को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जब तक एफपीओ को लाभ नहीं होगा - एफपीओ नहीं चल सकता है - आवश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकता है – जिससे सदस्यों के लिए भी कोई लाभ नहीं होगा ।

आइए अब, दो अलग-अलग एफपीओ के दो परिदृश्यों पर एक नज़र डालते हैं।

परिदृश्य एफपीओ 1:

एक एफपीओ अपने सदस्यों से सब्जियों की खरीद और कॉर्पोरेट खरीदारों को बेचने का काम करता है। इस सेवा को सदस्यों को प्रदान करने के लिए, एफपीओ ने निवेश की लागत (संग्रह केंद्र, परिवहन वाहन), कर्मचारियों, श्रम आदि पर खर्च किया है। हालांकि, एफपीओ के संचालक मंडल ने सदस्यों के उत्पादन की गुणवत्ता के कारण ज्यादा कीमत निर्धारित की है,जो कि बाजार की कीमत से बहुत अधिक है। जिससे एफपीओ को नुकसान हुआ है और निवेश और कार्यशील पूंजी की लागत अपरिवर्तित बनी हुई है।

परिदृश्य एफपीओ 2:

यह एफपीओ भी इसी तरह की लागत के साथ इसी प्रकार की सेवा में लगा हुआ है। हालांकि, यह एफपीओ तीन अलग-अलग गुणों के लिए बाजार के अनुसार वजन, कमीशन, परिवहन के लिए प्रतीक्षा समय की उचित शर्तों पर सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करता है। इसे देखते हुए, सदस्यों को दीर्घकालिक रूप से लाभ मिलता है और साथ ही एफपीओ भी मुनाफा बनाता है जिससे वह लागतों को पूरा कर सकता है और बेहतर तरीके से सदस्यों की सेवा कर सकता है।

कृपया नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें और उपरोक्त दो परिदृश्यों पर निहितार्थ/ अपने मत लिखें:

परिदृश्य एफपीओ 1:	परिदृश्य एफपीओ 2:

विश्लेषण से, स्पष्ट है कि किसी भी सेवा का परिणाम न केवल सदस्य स्तर पर बल्कि एफपीओ स्तर पर भी होना चाहिये। ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे केवल सदस्य ही लाभान्वित हों या केवल

एफपीओ, बल्कि एफपीओ और सदस्य दोनों को होना आवश्यक है। सदस्य स्तर और एफपीओ स्तर पर लाभों को संतुलित करना संचालक मंडल का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। संचालक मंडल को इस बारे में आवश्यक प्रशिक्षण लेना होगा।

अब, सदस्यों की अपेक्षाओं और एफपीओ की व्यवहार्यता के टकराव के अन्य उदाहरणों पर चर्चा करेंगे।

सेवाएँ	**सदस्यों की अपेक्षाए**	**एफपीओ की व्यवहार्यता**
उर्वरकों की आपूर्ति	कम लागत, घर-घर वितरण	उर्वरकों के कारोबार में कम लाभ
कृषि यंत्र	ज्यादा अवधि और उच्च काम का भार	मशीनरी/यंत्र का तेजी से ह्रास, उच्च संचालन और रखरखाव की लागत
सब्जियों की खरीद	खराब गुणवत्ता के लिए उच्च कीमत; उसी स्थान पर भुगतान	गुणवत्ता की कमी एवं बाजार का जोखिम

उपरोक्त उदाहरणों से, यह जाना जा सकता है कि कभी-कभी सदस्यों की अपेक्षाओं और एफपीओ की व्यवहार्यता के बीच टकराव हो सकता है। यदि किसी अन्य सेवा प्रदाता की तुलना में सदस्यों की अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं, तो यह एफपीओ के लिए यह उच्च लागत का कारण बन सकता है और एफपीओ आय के माध्यम से लागत को पूरा नहीं कर सकता है, इस प्रकार यह सेवाओं को बनाए नहीं रख सकता है। इसीलिए, हर समय सदस्यों की अपेक्षाओं और एफपीओ व्यवहार्यता को संतुलित करना संचालक मंडल के सदस्यों का प्रमुख कर्तव्य है।

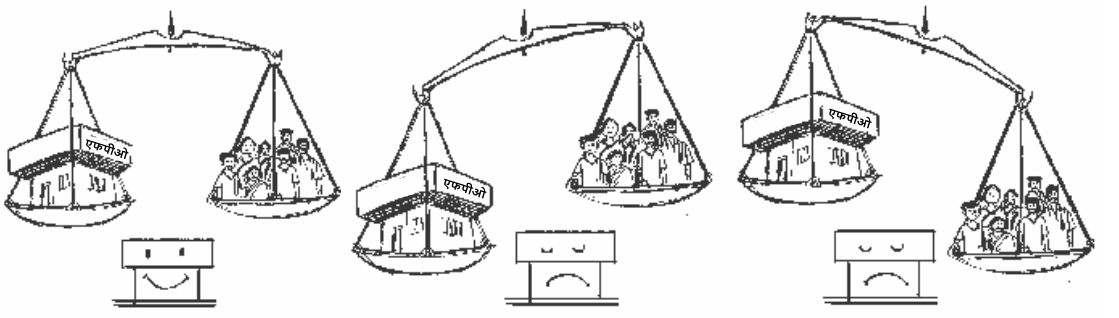

लघु अवधि एवं दीर्घावधि में सामंजस्य से होने वाले लाभ;

अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ दोनों के बीच संतुलन बनाकर एफपीओ में सदस्यता के लिए प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतियोगी अल्पावधि में कुछ अस्थायी आकर्षक योजनाओ का लाभ दे कर सदस्यों को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एफपीओ के सदस्यों को एफपीओ से होने वाले दीर्घकालिक लाभ की जानकारी भी प्रदान की जाए।

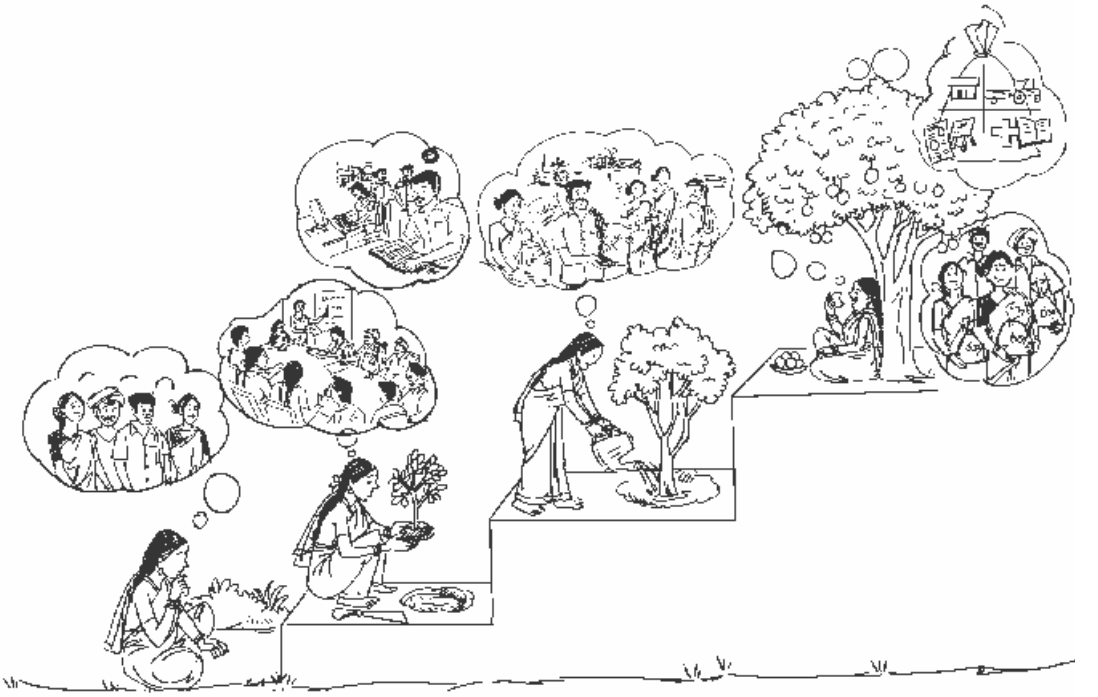

उदाहरण के लिए, एक एफपीओ अपने सदस्यों से टमाटर की खरीदी करता है और उचित बाजार में विपणन करता है। अपने सदस्यों को तुरंत लाभ पहुंचाने की जल्दी में, एफपीओ 10 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करता है, जबकि समान गुणवत्ता के लिए प्रचलित बाजार दर प्रति किलोग्राम 5 रुपये थी। इसका परिणाम केवल अल्पकालिक लाभ के लिए आकर्षित हो रहे सदस्यों की स्थिति में होता है, एफपीओ 10 रुपये प्रति किलो से अधिक पर उपज बेचने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार नुकसान उठाना पड़ता है और इससे अधिक सदस्यों के लिए खरीद सेवा का विस्तार नहीं हो सकता है।

संचालक मंडल को अपने अंशधारकों को कम्पनी के मालिक होने के नाते कम्पनी को व्यवहार्य अर्थात हमेशा जीवंत बनाने सम्बन्धी प्रशिक्षण देना चाहिए। जीवंत कम्पनी में निवेश उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कम्पनी हमेशा उत्तम गुणवत्ता की सेवाएँ देने में सक्षम होगी। अन्यथा अंशधारियों को कुछ समय तात्कालिक लाभ ही मिल पाएगा और कम्पनी हमेशा लाभ अर्जित नहीं कर सकेगी और सदस्यों को सेवाएँ नहीं दे पायेगी जो कि सदस्यों के लिए नुकसानदायक होगा ।

एफपीओ में सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध

चूंकि सदस्य एफपीओ के मालिक और ग्राहक हैं, इसलिए एफपीओ की व्यावसायिक व्यवहार्यता और स्थिरता के लिए उसे सदस्यों से परस्पर संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सदस्यों से संबंधों को विभिन्न तरीकों से नीचे दर्शाया गया है।

सूचना और संचार	• प्रचार हेतु पर्चे एवं पुस्तक • वार्षिक विवरण • सूचना पट्ट
प्रतिपुष्टि	• सेवाओं पर • शिकायतों के सुधार हेतु
सुविधाएँ	• कार्यालय में • सदस्य संपर्क क्षेत्र जैसे संग्रह केंद्र, इनपुट वितरण केंद्र
सेवा वितरण व्यवस्था	• गुणवत्ता युक्त सेवाएं, समय पर • सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्यों के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
आवश्यकताओं की पहचान	• समय के साथ बदलती जरूरतों की पहचान एवं उनकी पूर्ति
सदस्यों के शिक्षण हेतु	• प्रशिक्षण • भ्रमण कार्यक्रम • जागरूकता बैठकें

जैसा कि ऊपर बताया गया है, एफपीओ अपने सदस्यों के साथ विभिन्न तरीकों/माध्यमों से संबंध बनाए रख सकते हैं। सदस्य का प्रशिक्षण, सूचना और संचार इस संबंध में बहुत प्रभावी माध्यम है। सेवाओं, आवश्यकताओं, और गुणवत्ता आदि के बारे में नियमित रूप से प्रतिक्रिया लेकर समय-समय पर एफपीओ की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार होने चाहिए। सदस्यों के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, उदाहरण - शौचालय, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था आदि।

शिकायत निवारण प्रक्रिया

एफपीओ में किसी भी सदस्य की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से समय पर संभालना और निपटाना आवश्यक है। इसके लिए संचालक मंडल सदस्यों को नियुक्त करेगा । वे शिकायतों की प्रकृति के आधार पर एकल या एकाधिक समितियों की नियुक्ति कर सकते हैं जैसे कि प्रशासनिक, वित्तीय आदि।

- समिति और संपर्क व्यक्ति का नाम नोटिस बोर्ड और पर्चे पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए;
- संबोधित करने की प्रक्रिया और अनुमानित समय रेखा को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए;
- सभी शिकायतों को मौखिक/लिखित रूप में व्यक्ति के नाम, शिकायत के प्रकार आदि के स्पष्ट उल्लेख के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।
- संचालक मंडल की निकटतम आगामी बैठक, यह विषय एजेंडा में सम्मिलित होना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए;
- समिति के सदस्यों को मुद्दे को समझने और स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति से मिलना चाहिए;
- निर्णय विधिवत लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए और मिनट बुक में विधिवत दर्ज होना चाहिए।
- न्यायिक मामले में, यदि आवश्यक हो तो वकील की मदद से मामले को निकटतम अदालत में ले जाना चाहिए।

4 एफपीओ में सदस्यता- कौन और कैसे

सत्र उद्देश्य

एफपीओ में सदस्यता के लिए आवश्यक मानदंडों को समझना ।

एफपीओ में सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को समझना ।

विषय वस्तुः

1. सदस्य प्रवेश सम्बन्धी जानकारी
2. सदस्यता को कैसे ख़त्म करना है
3. सदस्यता को छोड़ना या समाप्त करना ।

हमारे एफपीओ के उपनियमों/एओए में, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार, एफपीओ में सदस्यों को भर्ती करने की जिम्मेदारी एफपीओ की है।

सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

- एफपीओ में सदस्यता लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन को एफपीओ के सचिव / सीईओ को सौंपेंगे, जो इस आवेदन को संचालक मंडल के समक्ष विचार करने के लिए इसे प्रस्तुत करेंगे।
- सदस्यता के लिए आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाएगा और संचालक मंडल का निर्णय आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।
- आवेदक रुपये का भुगतान करेगा। प्रवेश शुल्क के रूप में _____ और रु _____प्रवेश पूंजी के रूप में, और किसी भी अन्य शुल्क के लिए जो प्रवेश के समय लागू हो सकते हैं।
- एफपीओ, सदस्य द्वारा भुगतान की गई शेयर पूंजी के लिए सदस्य को रसीद और बॉन्ड जारी करता है और और सदस्यता रिकॉर्ड को अद्यतन करता है ।

इस मामले में संचालक मंडल का निर्णय अधिनियम, उपनियम के प्रावधानों, व्यवसाय और प्रशासन के नियमों के अधीन और अंतिम होता है ।

सदस्यता की समाप्ति

किन परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त हो जाएगी?

- सदस्यता वापस लेने पर, एफपीओ के संचालक मंडल के अनुमोदन के बाद ।

- एफपीओ के उपनियम /व्यापार नियमों में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के आधर पर
- सदस्य ने एफपीओ द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लेनदेन या सेवाओं में एक वर्ष तक भाग नहीं लिया है
- किसी हानिकारक गतिविधियों में सदस्यों के भाग लेने पर, एफपीओ के हित को ध्यान में रखते हुए सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है ।

सदस्यता की समाप्ति पर, एफपीओ के साथ सदस्यों के लेन देन को एफपीओ के नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।

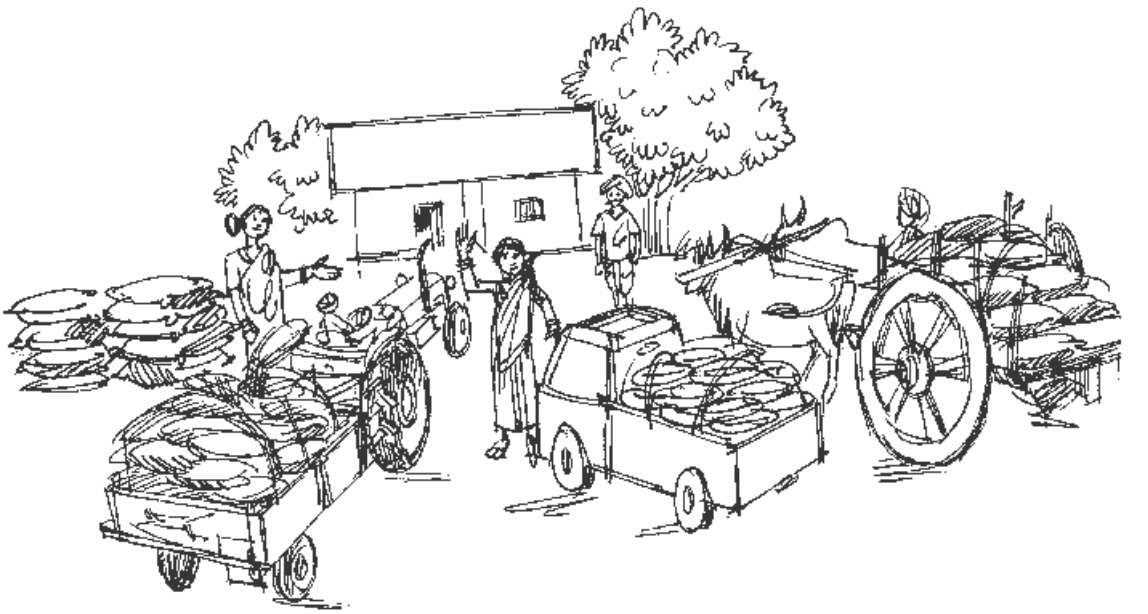

4 पूँजी में योगदान - सदस्यता ही स्वामित्त्व

सत्र उद्देश्य

एफपीओ में शेयर पूंजी की आवश्यकता पर जरुरी समझ बनाने के लिए

अंश धारकों की एफपीओ के वित्तीय संसाधनों में उच्चतम सहभागिता के महत्व को समझाना ।

विषय वस्तुः

1. अंश पूँजी
2. अंश धारकों की एफपीओ के वित्तीय संसाधनों में उच्चतम सहभागिता

परिचयः

इससे पहले के सत्र में, हमने समझा कि एफपीओ में स्वामित्व बनाए रखने का मुख्य तरीका अंश पूँजी में सदस्यों का योगदान है। अगर किसी एफपीओ को वास्तव में सदस्यों के स्वामित्व वाला स्थायी संगठन बनाना है, तो उसे इसके सदस्यों से महत्वपूर्ण अंश पूंजी लेनी होगी। इस सत्र में, हम सदस्यों के इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं।

चर्चा हेतु प्रश्नः

1. एफपीओ में व्यापार शुरू करने के लिए वित्त के स्रोत क्या हैं?
2. शेयर पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है?

एफपीओ के अंतर्गत व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और वे तीन मुख्य स्रोतों से पूंजी उत्पन्न कर सकते हैं:

1. सदस्यों की शेयर पूंजी के माध्यम से
2. एफपीओ में व्यवसाय द्वारा हुए लाभ से
3. बाहरी संस्था द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में।

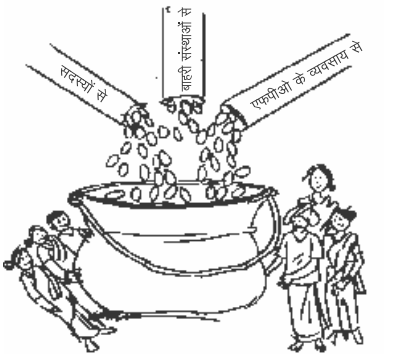

सदस्यता हेतु निर्धारित की गई अंश पूँजी के दो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं :सदस्य शेयर के माध्यम से एफपीओ को **पर्याप्त पूंजी आधार** प्रदान करते हैं, और वे **स्वामित्व** की भावना पैदा करते हैं।

एफपीओ में सदस्यता हेतु **अंश पूंजी** व्यक्तिगत सदस्य की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है । यह **सदस्य की व्यक्तिगत वित्तीय हिस्सेदारी** को भी चिन्हित करता है। यह केवल तभी वापस लिया या दिया जाता है जब सदस्य एफपीओ छोड़ता है।

"एफपीओ अपने सदस्यों से शेयर पूंजी क्यों लेते हैं?"

"शेयर, पूंजी एफपीओ में सदस्यों के स्वामित्व के लिए सिक्के का एक पक्ष है, और सदस्य का लाभ दूसरा पक्ष हैं। मालिक अपने इक्विटी निवेश के साथ व्यवसाय के लिए ठोस समर्थन प्रदान करते हैं, और बदले में सहकारी संस्था सदस्य-मालिकों को लाभ प्रदान करते हैं। सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ एफपीओ का अस्तित्व है। लोग एक एफपीओ में निवेश करते हैं क्योंकि वे इसकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को समुदाय का एक हिस्सा होने का लाभ मिलता है, जो कि एफपीओ के मिशन के साथ-साथ जिस समुदाय की सेवा करता है, उसका समर्थन करता है "।

चर्चा का प्रश्न : किस प्रकार के फंड सबसे अच्छे हैं?

एफपीओ एक समुदाय आधारित व्यवसाय है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से कम राशि के निवेश से बडी मात्रा में पूंजी इक्कठी करके, उसके आधार पर बडी मात्रा में बाहर से पूंजी ला सकते है। हालांकि सदस्य सीमित मात्रा में निवेश कर सकते है और इस प्रकार पूंजी का संचय धीमा होगा, विशेषतः उन किसान उत्पादक संगठनों के लिए जो व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोच रहे है ।

सदस्य का पूंजी निवेश, बैंकों और अन्य उधारदाताओं के लिए सदस्य-मालिकों की वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, पूंजी का प्रकार और स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संलग्न नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हैं।

सफलता पूर्वक क्रियान्वित मामलों का अध्ययन

धरणी एफपीओ कमलापुर ब्लॉक के किसानों के साथ काम कर रहा है। यह सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है । वो किसान जो एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करने के लिए तैयार है उन्होने एफपीओ के तय किए उपनियमों के प्रावधानों एवं अन्य शर्तों का पालन करते हुए प्रवेश शुल्क देकर और सदस्यता के लिए शेयर पूंजी का भुगतान करके, एफपीओ के सदस्य बन गये है।

एफपीओ सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों से उपज की खरीदी करता है। हालांकि, एफपीओ अपने व्यावसायिक नियमों के अनुसार, यह सुनिश्चित करता है कि गैर-सदस्यों से खरीदी, कुल खरीद के 20% से अधिक न हो।

किसान उत्पादक संगठन के संचालक मण्डल ने महसूस किया कि अंशधारिता की मात्रा पर आधारित संस्थागत निवेश सीमित और धीमी गति से होता है। अतः एफपीओ संस्थागत विकास हेतु बैंक और अन्य सोत्रों से ऋण के लिये प्रयास कर रहा है

तीन वर्षों के बाद से, एफपीओ की सामान्य सभा ने अतिरिक्त लाभ के 40% को एफपीओ के साथ प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए लेनदेन के आधार पर आवंटित करने का निर्णय लिया। सदस्यों का कहना है कि हम अपने सहकारिता पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह खरीदकी तुलना में ज्यादा मुनाफा नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने लेन-देन के अनुपात में अतिरिक्त लाभ को सदस्यों को लौटा दिया। एफपीओ के संचालक मंडल का कहना है कि वे संरक्षण रिफंड पर ध्यान देते हैं क्योंकि इस तरह के रिफंड सहकारी के लिए शुद्ध आय के लिए उचित दबाव बना सकते हैं, जो एक स्वस्थ व्यवसाय का एक संकेत है।

सदस्यों से शेयर पूंजी एकत्र करने के लाभ पर अपने विचार रखें।

अंशधारियों की वित्तीय सहभागिता

अब हम निम्नलिखित दो एफपीओ का अध्ययन करेंगे और एफपीओ के सदस्यों की हिस्सेदारी, स्वामित्व और स्थिरता के बीच संबंध का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे:

एफपीओ -1: इस एफपीओ के परिचालन क्षेत्र के सभी संभावित सदस्य पूर्ण अधिकृत शेयर पूंजी का भुगतान करके एफपीओ के सदस्य बन गए। एफपीओ के साथ सदस्य नियमित मासिक बचत भी करते हैं। कृषि आदानों और संबंधित खर्चों के लिए, एफपीओ सदस्यों से जमा राशि जुटाकर सदस्य को ऋण प्रदान करता है और यदि आवश्यक हो तो सदस्य अपनी जमा राशि पर 10 गुना ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपज की खरीद के दौरान, एफपीओ ने सदस्यों को कीमत का 10 % काट कर मूल्य दिया जो कि व्यापार चक्र पूरा होने के बाद सदस्यों को वापस भुगतान कर दिया गया।

एफपीओ -2: अन्य एफपीओ में, किसान एफपीओ में शामिल हुए और सदस्यों ने अधिकृत शेयर पूंजी के केवल छोटे हिस्से का योगदान दिया। एफपीओ अपने सदस्यों को कोई बचत और ऋण सेवाएँ नहीं दे रहा है। एफपीओ बाजार की ब्याज दर पर विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेता है। हालांकि, यह एफपीओ के कारोबार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, प्रोत्साहित करने वाली एजेंसी ने एफपीओ को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। एफपीओ स्तर पर धन के उचित प्रबंधन के लिए, वित्तीय संस्थानों ने एफपीओ को सीईओ की भर्ती करने का सुझाव दिया। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, प्रोत्साहित करने वाली एजेंसी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर रही है।

दो एफपीओ के सदस्यों की वित्तीय हिस्सेदारी की स्थिति और सदस्यों के स्वामित्व, नियंत्रण और संस्थानों की स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर नीचे दिए गए स्थान पर अपने विचार लिखें:

एफपीओ -1	एफपीओ -2

उपरोक्त मामलों का अध्ययन का, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एफपीओ में सदस्यों के स्वामित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहभागिता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हैं। न्यूनतम आंतरिक पूंजी के बिना, बाहरी पूंजी की व्यवस्था करना संभव नहीं है। खासतौर से आंतरिक पूंजी के

बिना, आंतरिक स्वामित्व नहीं होगा, फलस्वरूप ऐसे एफपीओ को ज्यादातर बाहरी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि सदस्यों की वित्तीय हिस्सेदारी है, तो अवश्य ही एफपीओ के सदस्यों के निर्णय लेने और अन्य गतिविधियों में स्वामित्व और सक्रिय भागीदारी भी आवश्य होगी।

निम्नलिखित वे तरीके हैं जिनके द्वारा सदस्यों की एफपीओ में वित्तीय सहभागिता होती हैं।

- **अंश पूँजी**
- **जमा**
- **ऋण**
- **बचत**
- **अंश पूँजी में सहभागिता**
- **रोका गया मूल्य**

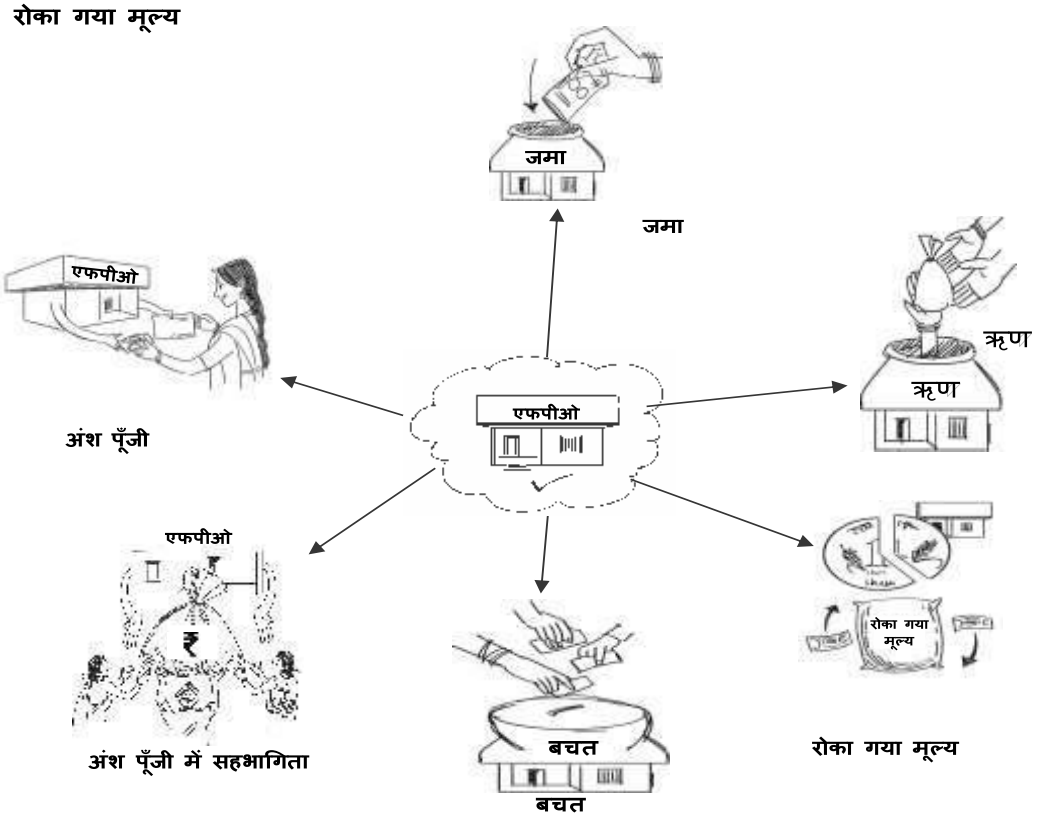

अनुलग्नक - I

एमएसीएस अधिनियम 1995 के अनुसार सदस्यता प्रावधान

"सदस्य "का अर्थ एक व्यक्तिगत उत्पादक या उत्पादक उद्यमी है जो एफपीओ के बायलाज में निर्दिष्ट सदस्यता पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और जिसने शेयर पूंजी का भुगतान किया है |

1. उपनियमों के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो सहकारी समिति की सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक है, वह सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और सहकारी समितियों के उपनियमों में निर्दिष्ट की जा सकने वाली अन्य शर्तों को पूरा करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। और इसके बाद उन्हें एक सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है, हालांकि इस शर्त के साथ ही सहकारी समिति, आवेदक को अपनी सामान्य सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में है और आवेदक पहले से ही इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी और सहकारी समिति का सदस्य नहीं है।

2. सदस्यों का प्रवेश और सदस्यता से हटाना उपनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही होगा, केवल एक निर्वाचित बोर्ड या सामान्य निकाय द्वारा जहां इस तरह का निर्वाचित बोर्ड उस समय के लिए मौजूद नहीं है।

3. एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति वोटिंग के अधिकार सहित, सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, केवल ऐसी शर्तों की पूर्ति पर, जिन्हें समय-समय पर उपनियमों में रखा जा सकता है; बशर्ते कि वोट के अधिकार का उपयोग करने से पहले एक व्यक्ति कम से कम एक वर्ष तक सदस्य रहा हो; आगे कहा गया है कि सहकारी संस्था के पंजीकरण के पहले वर्ष में उपर्युक्त अंतरिम प्रवर्तक सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

4. अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही सेवाओं के लिए एक से अधिक सहकारिता का सदस्य होने की अनुमति नहीं है।

अनुलग्नक - II

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सदस्यता प्रावधान

सदस्यों के अधिकार:

जब एक बार कोई व्यक्ति सदस्य बन जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह (महिला /पुरुष) सदस्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार होता है जब तक की उसकी सदस्यता खत्म नही हो जाती| एक सदस्य के अधिकार -

- अपने शेयरों को स्थानांतरित करने का;
- कंपनी की बैठकों में प्रस्तावों पर वोट करने का;
- कंपनी की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) या एक संयुक्त बैठक की माँग करने का;
- एक सामान्य बैठक का नोटिस प्राप्त करने का;
- एक सामान्य बैठक में भाग लेने और बोलने का;
- बैठकों में प्रस्तावित प्रस्तावों में संशोधन करने का;
- यदि सदस्य एक कॉर्पोरेट निकाय है, तो अपनी ओर से सामान्य बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का;
- कंपनी को अपने प्रस्तावों को प्रसारित करने का;
- कंपनी के मुनाफा में से लाभांश में हिस्सा लेने के लिए;
- निदेशकों का चुनाव करना और उनके माध्यम से कंपनी के प्रबंधन में भाग लेना;
- उत्पीड़न के मामले में राहत के लिए कंपनी लॉ बोर्ड को आवेदन करना;
- कुप्रबंधन के मामले में राहत के लिए कंपनी लॉ बोर्ड को आवेदन करना;
- कंपनी के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन करना;
- समापन की स्थिति पर अधिशेष को साझा करने का; तथा
- अपने शेयरों के संबंध में उसे एक शेयर प्रमाणपत्र जारी किये जाने का।

एक सदस्य का वोटिंग अधिकार

क ऐसे मामले में जहां सदस्यता केवल एक व्यक्तिगत सदस्य की होती है, मतदान का अधिकार, हर सदस्य के लिए एकल मत पर आधारित होगा, न कि उसकी अंश पूंजी में हिस्सेदार या उत्पादक कंपनी के संरक्षण पर।

ख प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किसी भी सक्रिय सदस्य को उनके संरक्षण के आधार पर अतिरिक्त वोटों का आवंटन नहीं किया जाएगा।

ग ऐसे मामले में, जहां सदस्यता केवल उत्पादक संस्थानों की होती है, पिछले वर्ष में संबंधित संस्थानों द्वारा कंपनी के व्यापारिक व्यवहार में भागीदारी के आधार पर मतदान के अधिकार की गणना की जा सकती है। इसके पंजीकरण के पहले वर्ष में मतदान के अधिकार शेयरधारिता के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

घ ऐसे मामले में जहां व्यक्तियों के साथ-साथ उत्पादक संस्थानों भी सदस्य है, मतदान के अधिकार की गणना एक सदस्य के लिए एक वोट के आधार पर की जायेगी।

ङ प्रत्येक सक्रिय सदस्य के पास न्यूनतम एक वोट होगा। परन्तु नए भर्ती किए गए सदस्यों के पास कम से कम छह महीने (या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समयावधि) के लिए कोई मतदान अधिकार नहीं होगा।

सदस्यता समाप्त करना

निम्नलिखित परिस्थितियों में, सदस्यता जब्त की जाती है:

- उसके शेयरों को स्थानांतरित करके। स्थानांतरण के मामले में, शेयर तब तक स्थानांतरित नहीं होंगे जब तक की स्थानान्तरण होने वाले व्यक्ति के नाम पर शेयर को पंजीकृत नहीं किया जाता है
- उसके शेयरों को जब्त करके;
- एक वैध आत्मसमर्पण द्वारा;

- मृत्यु से, लेकिन तब तक शेयर को प्रेषित नहीं किया जाता है, जब तक उसकी / उसकी परिसंपत्ति से शेयर का पैसा शेष होगा;
- कंपनी द्वारा एसोसिएशन के अपने लेख के तहत अपने अधिकार के शेयर बेचकर;
- किसी दावे की संतुष्टि में एक अदालत या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के शेयरों को बेचने के आदेश द्वारा;
- एक अधिकारी के रूप में, अपने शेयरों को अस्वीकार करने के लिए, एक दिवालिया के रूप में अपने निर्णय पर;
- सदस्यता के अनुबंध की मंदी से, गलत बयानी या गलती के आधार पर।

हितों का टकराव

- कोई भी व्यक्ति, जिसके किसी भी व्यावसायिक हित का उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के साथ संघर्ष है, वह उस उत्पादक कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता।
- एक सदस्य, जो ऐसा व्यावसाय शुरू करता है जिसका उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के हितों के साथ संघर्ष है, वह उस कंपनी का सदस्य नही रह सकता और एओए के अनुसार सदस्य के रूप में हटा दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन

स्मरण रहे ! कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में, हमने बेसलाइन के माध्यम से एफपीओ में सदस्यता के बारे में कुछ मूलभूत सवालों के जवाब दिए थे।

अब, हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। इसलिए, इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विस्तृत अध्ययन के बाद विषय की अतिरिक्त समझ के बारे में हमारे खुद का आकलन करने के लिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए है।

इसलिए, मॉड्यूल पर चर्चा के बाद और सीखने के आधार पर कुछ और सवालों के जवाब दें ।

1. एफपीओ के सक्रिय सदस्य कौन होते हैं?

   .....

   .....

2. एफपीओ का वित्त संरक्षण (सेवाओं का उपयोग) सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कैसे है?

   .....

   .....

3. एफपीओ में सदस्यता लेने के लिए लोगो को प्रेरित करने के विभिन्न स्तर क्या हैं?

   .....

   .....

4. एफपीओ में सदस्य केंद्रीयता कैसे बनाए रखें?

   .....

   .....

5. आप एफपीओ और सदस्यों के स्तर पर लाभों को कैसे संतुलित करते हैं?

   .....

   .....

पाठ्यक्रम से प्रमुख गतिविधि के लिये बिंदु

किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता

आइए, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बनी सीख के आधार पर हम अपने एफपीओ में सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक सूची बनाते हैं।

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … …

टिप्पणी

टिप्पणी

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) के बारे में

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) एक राष्ट्रीय स्तर की गैर लाभकारी संस्था है जो कि सामुदायिक संगठनों जैसे कि स्वयं सहायता समूह, उनके संघ, सहकारिताओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) व अन्य सामुदायिक संगठनों जो कि स्व सहायता, आपसी लाभ, स्वयं की जिम्मेदारी, आत्म-निर्भरता जैसे मूल्यों में विश्वास रखते है और उनको व्यवहार में लाते है, उनके सशक्तिकरण पर कार्य करती है।

विनिमय - किसान उत्पादक संगठन में सदस्यता

आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसायटी (APMAS) द्वारा प्रवर्तित एफपीओ इन्क्यूबेशन सेंटर एफपीओ को व्यवहार्य और टिकाऊ उद्यम के रूप में विकसित करने का एक वन-स्टॉप सेंटर है। यह कार्य एफपीओ को प्रोत्साहित व सहयोग करने वाली संस्थाओं के साथ भागीदारी करके किया जाता है। सेंटर संस्थागत विकास से सम्बंधित सेवाएँ जैसे कि विजन तैयार करना, वैधानिक अनुपालन, प्रबंधन, अभिशासन और इन संस्थाओं की क्षमता विकास करना, आदि सेवाएँ देता है। इसके साथ ही, व्यवसाय विकास से सम्बंधित सेवाएँ जैसे की व्यावसायिक योजना बनाना, वित्तीय जुड़ाव, विपणन और एफपीओ के व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग भी देता है।

सहयोग

DGRV

संकलन एवं निर्माण

Institute of Livelihood Research and Training

apmas